अनुदान संख्या 15 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 15–DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2484,00,00		2484,02,00	1600,45,80	–883,56,20
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					867,43,98
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			98,00,00	96,60,20	–1,39,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	48070.00	50217.00	49679.14	–537.86
पु.	R.	2147.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	23300.00	. .	. .	. .
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–23301.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	176640.00			
पू.	S.	1.00	111391.22	110317.03	–1074.19
पु.	R.	–65249.78			
मुख्य शीर्ष ''3453'' विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	310.00	35.80	35.67	–0.13
पु.	R.	–274.20			

(I) 23314.00 लाख रु. का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 23001.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी'' -

(क) ''मानकीकरण परीक्षण और गुणता प्रमाणीकरण'' - 400.00 लाख रु.;

(ख) ''जनशक्ति विकास कार्यक्रम'' - 1001.00 लाख रु.; (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) ''इलेक्ट्रानिकी अभिशासन'' - 9000.00 लाख रु.;

(घ) ''जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी - 200.00 लाख रु.;

(ङ) ''प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं'' - 300.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.23314.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these Rs.23001.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Telecommunication and Electronics Industries – Electronics"–

(a) "Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)" – Rs.400.00 lakhs;

(b) "Manpower Development Programme" – Rs.1001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);

(c) "Electronics Governance" – Rs.9000.00 lakhs;

(d) "IT for Masses" – Rs.200.00 lakhs;

(e) "Technology Development Council Projects" – Rs.300.00 lakhs;

(च) ''अभिमुखीकरण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम'' - 200.00 लाख रु.;

(छ) ''उन्नत परिकलन विकास केंद्र'' - 900.00 लाख रु.;

(ज) ''सीईआरटी - इन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित साइबर सुरक्षा'' - 400.00 लाख रु.;

(झ) ''राष्ट्रीय जानकारी तंत्र'' - 6000.00 लाख रु.;

(ञ) ''डीओईएसीसी'' - 200.00 लाख रु.; और

(खा) ''सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र'' - 4400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग'' के अन्तर्गत 457.16 लाख रु. की बचत (6170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कमी किए जाने, परियोजनाओं संबंधी आवश्यकताएं पूरी न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''मानकीकरण परीक्षण और गुणता प्रमाणीकरण'' - 219.51 लाख रु. की बचत (6400.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानकीकरण परीक्षण और गुणता प्रमाणीकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(f) "Convergence, Communication and Strategic Electronics Programme" – Rs.200.00 lakhs;

(g) "Centre For Development of Advanced Computing (C-DAC)" – Rs.900.00 lakhs;

(h) "Cyber Security Including CERT-In, IT Act" – Rs.400.00 lakhs;

(i) "National Knowledge Network" – Rs.6000.00 lakhs;

(j) "DOEACC" – Rs.200.00 lakhs; and

(B) "Secretariat - Economic Services – Secretariat – National Informatics Centre" – Rs.4400.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Information Technology" – saving of Rs.457.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6170.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, non-completion of requirements for projects and economy measures.

(III) Under Major Head "2852" – "Telecommunication and Electronics Industries – Electronics" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)" – saving of Rs.219.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6400.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by the regional centres of STQC.

(खा) ''इलेक्ट्रानिकी अभिशासन'' - 48107.82 लाख रु. की बचत (81000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थितियां/आवश्यकताएं पूरी न होने और ई-जिला और ई-भारत परियोजनाएं शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Electronics Governance" – saving of Rs.48107.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81000.00 lakhs) was due to non-completion of the conditions/requirements by the State Governments for release of funds and non-initiation of e-District and e-Bharat Projects.

(गा) ''इलेक्ट्रानिकी का संवर्धन/आईटी एचडब्ल्यू विनिर्माण (मेगा फैब)'' - 180.64 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिकी का संवर्धन/आईटीएचडब्ल्यू विनिर्माण (मेगा फैब) के संवर्धन के अंतर्गत परियोजना पूरी न होने के कारण हुई।

(C) "Promotion of Electronics/IT HW Manufacture (Mega Fab)" – saving of Rs.180.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to non-completion of projects under promotion of Electronics/IT HW manufacture (Mega Feb).

(घा) ''राष्ट्रीय जानकारी तंत्र'' - 30000.00 लाख रु. की बचत(54000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीम के लिए व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल का अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "National Knowledge Network" – saving of Rs.30000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.54000.00 lakhs) was due to late receipt of approval of Expenditure Finance Committee/Cabinet for a new scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3453'' - ''अन्य व्यय - विभागीय रूप से किया गया व्यय'' के अंतर्गत 274.33 लाख रु. की बचत (310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में कम पहल किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3453" – "Other Expenditure – Expenditure Incurred Departmentally" – saving of Rs.274.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.310.00 lakhs) was due to less initiative taken in foreign trade and export promotion area owing to global economic slowdown.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.04 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 83 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.66.04 lakhs occurred constituting 83 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (11942.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक अनुदानों के अनुबंध द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.11942.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2010 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2852" – "Telecommunication and Electronics Industries – Electronics" – under the following heads:-

(का) ''प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं'' - 271.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 220.08 लाख रु. था।

(A) "Technology Development Council Projects" – Rs.271.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.220.08 lakhs).

(खा) "माइक्रो इलेक्ट्रानिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम - एनएमसी'' - 4450.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4392.91 लाख रु. था।

(B) "Micro-Electronics and Nano-Technology Development Programme – NMC" – Rs.4450.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4392.91 lakhs.

(गा) "जनशक्ति विकास (सूचना सुरक्षा शिक्षा, विशेष जनशक्ति सहित)'' - 2871.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2713.00 लाख रु.।

(C) "Manpower Development (Including Information Security Education, Special Manpower)" – Rs.2871.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2713.00 lakhs.

(घा) "उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र'' - 2600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2350.00 लाख रु. था।

(D) "Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)" – Rs.2600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2350.00 lakhs.

(ङ) "अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी और अनुसंधान समिति'' - 800.00 लाख रु.।

(E) "Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER)" – Rs.800.00 lakhs.

(चा) "इलेक्ट्रानिकी संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम'' - 550.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 549.66 लाख रु. था।

(F) "Electronics Components and Material Development Programme" – Rs.550.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.549.66 lakhs.

(छा) "भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 397.29 लाख रु. था।

(G) "Technology Development for Indian Languages (TDIL)" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.397.29 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451'' - "सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र'' - 2066.30 लाख रु. का अधिक व्यय (41900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – National Informatics Centre" – excess of Rs.2066.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41900.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष "2852'' - "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी'' -

(B) Major Head "2852" – "Telecommunication and Electronics Industries – Electronics"–

(क) "अभिमुखीकरण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Convergence, Communication and Strategic Electronics Programme" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs);

(ख) "जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)'' - 116.06 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(b) "IT for Masses (Gender, SC/ST)" – excess of Rs.116.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(ग) ''डीओईएसीसी'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (314.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(c) "DOEACC" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.314.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2000.00			
मुख्य शीर्ष ''4859'' दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4859" Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	800.00	1100.00	972.78	–127.22
पु.	R.	300.00			
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	7000.00	8700.00	8687.42	–12.58
पु.	R.	1700.00			

(I) 2000.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से 1900.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''4552''- ''इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''मशीनरी और उपस्कर'' - 200.00 लाख रु. ; और

(खा) ''राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र'' - 1700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4859'' - ''इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय - भूमि और भवन'' - 216.72 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र'' - 1687.42 लाख रु. का अधिक व्यय (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.2000.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1900.00 lakhs accounted for under Major Head “4552” – “Electronics – Other Expenditure” – under the following heads:-

(A) “Machinery and Equipments” – Rs.200.00 lakhs; and

(B) “National Informatics Centre” – Rs.1700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “4859” – “Electronics – Other Expenditure - Land and Buildings” – excess of Rs.216.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(II) Major Head “5475” – “Other Expenditure – National Informatics Centre” – excess of Rs.1687.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.